03

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्या– /XVII-4/2015–10(31)2014

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 **देहरादून दिनांक 11 जनवरी 2016 ~~दिसम्बर, 2015~~**

विषय–अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधिष्ठान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2130/स.क./लेखा–बजट/2015–16 दिनांक 24.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत मद में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत **"अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों"** के अधिष्ठान हेतु संलग्न एलोटमेन्ट आई. डी. **संख्या**–S1601300010 **दिनांक 01.01.2016** के द्वारा आयोजनागत पक्ष में **₹ 6.12 लाख (रूपये छः लाख बारह हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए।
4. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या तथा अयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
6. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
7. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण–वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

12. अवचनबद्ध मदें यथा–फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय, विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पेट्रोल/डीजल आदि में मितव्ययता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277–शिक्षा 06–अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्याः –73 (1)/XVII-4/2015-10(31)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

D/Bu/2015-16-

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Social Welfare (S045)

73

आवंटन पत्र संख्या - 10(31)/2014

अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - S1601300010

आवंटन पत्र दिनांक -01-Jan-2016

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

1: **लेखा शीर्षक** 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
00 - अनुसूचित जातियों के लियें आश्रम पद्धति विद्यालयों क

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
06 - अनुसूचित जातियों के लियें आश्रम पद्धति विद्यालय

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	11900000	0	11900000
02 - मजदूरी	1000	0	1000
03 - महंगाई भत्ता	13988000	0	13988000
04 - यात्रा व्यय	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	1400000	0	1400000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	100000	0	100000
09 - विद्युत देय	350000	0	350000
10 - जलकर / जल प्रभार	50000	0	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	50000	0	50000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	0	1000
13 - टेलीफोन पर व्यय	25000	0	25000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	50000	0	50000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	200000	0	200000
18 - प्रकाशन	10000	0	10000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	10000	0	10000
25 - लघु निर्माण कार्य	1000	0	1000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	1000	0	1000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200000	0	200000
29 - अनुरक्षण	50000	0	50000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	1250000	0	1250000
39 - औषधि तथा रसायन	150000	0	150000
41 - भोजन व्यय	6000000	0	6000000
42 - अन्य व्यय	100000	0	100000
44 - प्रशिक्षण व्यय	1000	0	1000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	25000	0	25000
	36063000	**0**	**36063000**

2: **लेखा शीर्षक** 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अ
277 - शिक्षा
00 - अनुसूचित जातियों के लियें आश्रम पद्धति विद्यालयों क

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण
06 - अनुसूचित जातियों के लियें आश्रम पद्धति विद्यालय

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2500000	0	2500000

03 - महंगाई भत्ता	1700000	0	1700000
04 - यात्रा व्यय	25000	0	25000
06 - अन्य भत्ते	150000	0	150000
07 - मानदेय	400000	0	400000
08 - कार्यालय व्यय	30000	0	30000
09 - विद्युत देय	50000	50000	100000
10 - जलकर / जल प्रभार	20000	0	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	40000	0	40000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	50000	50000
13 - टेलीफोन पर व्यय	15000	0	15000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	100000	100000
18 - प्रकाशन	10000	0	10000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	20000	0	20000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	35000	0	35000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	100000
29 - अनुरक्षण	0	50000	50000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	0	362000	362000
39 - औषधि तथा रसायन	25000	0	25000
41 - भोजन व्यय	3000000	0	3000000
42 - अन्य व्यय	30000	0	30000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	25000	0	25000
	8175000	**612000**	**8787000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 612000